

Gee Kay Textiles Ltd. & Others v. Haryana Industrial
Development Corporation & Another
(Jawahar Lai Gupta. J.)

जवाहर लाल गुप्ता और बी. राय के सामने। ११
जी के टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य, -याचिकाकर्ता
बनाम

हरियाणा औद्योगिक विकास निगम एक और, -उत्तरदाता
1997 का सी. डब्ल्यू. पी. 12856
15 सितंबर, 1997

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951-धारा 29-दिए गए अवसर के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा निगम को दिए गए ऋण को मंजूरी नहीं दी गई-ऋण के पुनर्भुगतान में निरंतर चूक-धारा 29 के तहत ली गई फैक्ट्री का कब्जा-इसके लिए चुनौती-प्रतिवादी निगम सार्वजनिक धन में काम कर रहा है और यह अपने स्वयं के हित की अनदेखी नहीं कर सकता है, सतर्क रहना होगा और बहुत देर होने से पहले कब्जा लेना होगा-अधिकारियों द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए और अदालत द्वारा नहीं-कार्रवाई कानूनी और मान्य है।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, धारा 24 में यह उपबंध है कि बोर्ड 'व्यावसायिक सिद्धांतों' पर कार्य करेगा। इसमें उद्योग, वाणिज्य और आम जनता के हितों का उचित ध्यान रखा जाएगा। वित्तीय निगम की स्थापना का उद्देश्य ही उद्योग का वित्तपोषण करना है। हालांकि, एक तथ्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि वित्तीय निगम सार्वजनिक धन का सौदा करते हैं। इस प्रकार, उन्हें 'व्यावसायिक सिद्धांतों' पर कार्य करना होगा। जबकि एक निगम पारंपरिक साहूकार की तरह काम नहीं कर सकता है जो चालाक था और असहाय लोगों का शोषण करता था, वह अपने हितों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह निगम को उस औद्योगिक संस्था का नियंत्रण और स्वामित्व ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "पुनर्भुगतान में कोई भी चूक" करता है। निगम को तब तक इंतजार नहीं करना पड़ता जब तक कि कंपनी सभी परिसंपत्तियों का निपटान नहीं कर देती और वसूली को असंभव बना देती है। इसे औद्योगिक संस्था द्वारा किए गए वादों को आंख मूंदकर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे सतर्क रहना होगा और कब्जा करना होगा। ।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि निगम ने अनुचित तरीके से काम किया है। प्रतिवादी सार्वजनिक धन के साथ काम कर रहा है। यह न्यासी के पद पर है। उसे अपने कार्यों का कुशलता से प्रबंधन करना होता है। यह सच है कि एक निश्चित मामले में जहां समय देने से कमजोर इकाई को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है, निगम इंतजार कर सकता है। हालांकि, विवेकाधिकार का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए न कि इस न्यायालय द्वारा। यह एक रोगी के लिए

एक कृत्रिम श्वसन यंत्र के उपयोग के समान है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को वंचित करना उचित नहीं होगा, जिसके पास मौका है, इस मामले की परिस्थितियों में, जब याचिकाकर्ता अपने कमीशन का सम्मान भी नहीं कर सका था और उसके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए थे, तो निगम को विवादित कार्रवाई करने में उचित ठहराया गया था।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुश्री अंजू अरोड़ा के साथ *वरिष्ठ अधिवक्ता, हरभगवान सिंह।*

कमल सहगल, अधिवक्ता; *प्रतिवादी के लिए।*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) क्या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की खंड 29 के प्रावधानों को लागू करने और याचिकाकर्ता संख्या 1 के कारखाने पर कब्जा करने में प्रतिवादी की कार्रवाई अवैध है? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता नंबर 1 सूती धागे के निर्माण में लगी एक कंपनी है। याचिकाकर्ता संख्या 2 कर्मचारियों का संघ है। याचिकाकर्ता संख्या 3 संघ का अध्यक्ष है। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ-साथ हरियाणा वित्तीय निगम से भी ऋण लिया। याचिकाकर्ता ने भुगतान में चूक की। 26/28 मई, 1997 के पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 1, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह "समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है और किशतों और ब्याज आदि के पुनर्भुगतान में चूक की है और कई पत्रों/अनुस्मारकों के बावजूद खाता अनियमित बना हुआ है।" "याद दिलाने के बावजूद, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था और 28 फरवरी, 1997 तक 1,30,34,000 रुपये की राशि बकाया थी। याचिकाकर्ता से "जल्द से जल्द लेकिन 18 जून, 1997 के बाद नहीं" राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह चेतावनी दी गई थी कि विफलता के मामले में, "निगम के पास आपको आगे कोई सूचना दिए बिना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं होगा।" 18 जून, 1997 के एक अन्य पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि बकाया चुकाने के लिए समय देने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। भुगतान 28 मई, 1997 के निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह धारा 29 के तहत इकाई का कब्जा लेने के लिए विवश

Gee Kay Textiles Ltd. & Others v. Haryana Industrial
Development Corporation & Another
(Jawahar Lai Gupta. J.)

होगा। 25 जून, 1997 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि मशीनरी में सुधार किया गया है और यह "लगभग 6000 किलोग्राम के दैनिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा जो निश्चित रूप से कंपनी के नकद स्रोतों में सुधार करेगा ताकि वह अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सके।" अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने रुपये के लिए चार पोस्ट-डेटेड चेक संलग्न किए। प्रत्येक को 5 लाख। इसने अन्य बकाया राशि का भुगतान करने का भी वादा किया। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से पत्र में उल्लिखित भुगतान करने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

(3) प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और धारा 29 के तहत कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। इस कार्रवाई से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है। आरोप है कि यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यहां तक कि पहले याचिकाकर्ता का मुख्य कार्यालय भी बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए प्रस्तावों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। इसके चलते कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। इस स्थिति में, यह प्रार्थना की गई है कि अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्रवाई को रद्द किया जाए और कारखाने का कब्जा याचिकाकर्ता को बहाल किया जाए।

(4) इस मामले को 2 सितंबर, 1997 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन, श्री कमल सहगल, अधिवक्ता उपस्थित हुए और शिकायत की कि प्रथम प्रतिवादी की ओर से एक कैविएट दर्ज करने के बावजूद, याचिका का नोटिस और उसकी एक प्रति उन्हें नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि एक कैविएट दर्ज की गई थी और उन्होंने श्री सहगल को रिट याचिका की एक प्रति प्रस्तुत की। मामले को 9 सितंबर, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस दिन, श्री सहगल पहले प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और बताया कि याचिकाकर्ता ने फरवरी 1994 से कोई भुगतान नहीं किया था और चूक लगातार की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि रुपये की राशि के लिए चेक। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए 40 लाख रुपये को रद्द कर दिया गया था। इस स्थिति में, प्रतिवादी के पास खंड 29 के तहत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से तथ्यात्मक स्थिति का खंडन नहीं किया गया था। यह केवल दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता ने कुल 92 लाख रुपये का भुगतान किया था। जुलाई 1997 में कारखाने में आग लग गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रभावित हुआ है। मामले की परिस्थितियों में और अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों का सहारा लेने का चरम कदम नहीं उठाना चाहिए था। यह भी बताया गया कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी सील कर दिया गया था।

(6) प्रत्यर्थी की ओर से श्री सहगल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को भुगतान करने का अवसर दिया गया था। उन्हें नोटिस दिया गया था। नोटिस के जवाब में

याचिकाकर्ता ने पोस्ट-डेटेड चेक दिए थे। इन्हें अपमानित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने या भुगतान करने में विफल रहने के बाद ही विवादित कार्रवाई की गई।

(7) यह सच यह सही है कि धारा 24 में यह प्रावधान है कि बोर्ड 'व्यावसायिक सिद्धांतों' पर कार्य करेगा। इसमें उद्योग, वाणिज्य और आम जनता के हितों का उचित ध्यान रखा जाएगा। वित्तीय निगम की स्थापना का उद्देश्य ही उद्योग का वित्तपोषण करना है। हालांकि एक तथ्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि वित्तीय निगम सार्वजनिक धन का सौदा करते हैं। इस प्रकार, उन्हें 'व्यावसायिक सिद्धांतों' पर कार्य करना होगा। जबकि एक निगम पारंपरिक साहूकार की तरह काम नहीं कर सकता है जो चालाक था और असहाय लोगों का शोषण करता था, वह अपने हितों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह इस उद्देश्य के साथ है कि निगम को औद्योगिक संस्था के प्रबंधन और कब्जे को संभालने का अधिकार दिया गया है जो "पुनर्भुगतान में कोई चूक" करता है। निगम को तब तक इंतजार नहीं करना पड़ता जब तक कि कंपनी सभी परिसंपत्तियों का निपटान नहीं कर देती और वसूली को असंभव बना देती है। इसे औद्योगिक संस्था द्वारा किए गए वादों को आंख मूंदकर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे सतर्क रहना होगा और कब्जा करना होगा।

(8) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है? मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने चूक की है। 26 मई, 1997 के पत्र में प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से बताया था कि 130 लाख रुपये के भुगतान के संबंध में चूक हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से इस आरोप का खंडन नहीं किया गया है। इसके अलावा 25 जून, 1997 के अपने पत्र में याचिकाकर्ता ने 5-5 लाख रुपये के चार चेक दिए थे, जो 10 जुलाई, 30 जुलाई, 15 अगस्त और 30 अगस्त, 1997 के थे। मान लीजिए, इन चेकों का अपमान किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी के पास अपने बकाया को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वर्तमान मामले में ठीक यही किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई 'व्यावसायिक सिद्धांतों' के विपरीत है या प्रतिवादी ने 'उद्योग के हितों' के प्रति सम्मान नहीं दिखाया है।

(9) श्री हरभगवान सिंह ने महेश चंद्रा बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और अन्य और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम बनाम मेसर्स जेम कैप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा जताया।

(10) महेश चंद्र के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि "बेशक, पूरा ऋण वितरित नहीं किया गया था। यदि निगम उस समय राशि जारी करने से इनकार कर देता है जब इकाई पूरा होने के करीब है या काम शुरू करने के लिए तैयार है, तो यह पूंजी से कम हो जाता है और यह खुद को मुसीबत में डालने के लिए बाध्य है। इस मामले में ऐसा ही हुआ " (para 15, Col 2). वर्तमान में ऐसी

Gee Kay Textiles Ltd. & Others v. Haryana Industrial
Development Corporation & Another
(Jawahar Lai Gupta. J.)

स्थिति नहीं है। जहां तक बाद के मामले का संबंध है, पैरा 10 में निम्नलिखित अवलोकन बहुत ही शिक्षाप्रद हैं:—

“हम इस बात से सहमत हैं कि निगम किसी साधारण साहूकार या ऋण देने वाले बैंक की तरह नहीं है। यह एक ऋणदाता है जिसका उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है। साथ ही, कुछ बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। निगम और उधारकर्ता के बीच संबंध लेनदार और देनदार का होता है। निगम को एक बार ऋण देने और व्यवसाय से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे उनकी वसूली भी करनी होगी ताकि वह दूसरों को नए ऋण दे सके। निगम को निस्संदेह अधिनियम के चारों कोनों के भीतर और अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। लेकिन इस कारक को निगम को हर रुग्ण उद्योगको पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने के लिए बाध्य करने की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है, चाहे इसमें कोई भी लागत शामिल हो। सार्वजनिक धन की कीमत पर औद्योगीकरण को बढ़ावा देने से सार्वजनिक हित की सेवा नहीं होती है; यह केवल सार्वजनिक धन को निजी खाते में स्थानांतरित करने के बराबर है। निगम के लिए आवश्यक निष्पक्षता को इस हद तक लागू नहीं किया जा सकता है कि वह अपने बकाया की वसूली करने से अक्षम हो जाए।”

(11) इस मामले पर हाल ही में हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम बैंग और कार्टन और एक अन्य मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा विचार किया गया था। यह निम्नानुसार देखा गया: —

“इस प्रावधान के लिए एक स्पष्ट तर्क है। आज, भौतिकवाद अपना प्रभाव रखने लगा है। व्यापार और उद्योग 'मुद्रा-अक्षर' में बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए; यहाँ तक कि 'विवाह' भी 'पैसे की बात' है। उद्योगपति में अपने वित्तपोषक के साधनों के भीतर रहने की प्रवृत्ति होती है। परिचित पैटर्न है—ऋण लें और रुग्ण हो जाएं। कई लोग इसे अपने 'ब्याज का भुगतान करने के सिद्धांत और मूलधन का भुगतान करने के अपने ब्याज के खिलाफ' पाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संसद ने निगम को न केवल खंड 31 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की शक्ति प्रदान की है, बल्कि खंड 29 के तहत औद्योगिक संस्थान के प्रबंधन और कब्जे को भी अपने हाथ में लेने और पट्टे या बिक्री के माध्यम से इसे हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान की है ताकि उसके बकाया की वसूली की जा सके।”

(12) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि निगम ने अनुचित तरीके से काम किया है। प्रतिवादी सार्वजनिक धन के साथ काम कर रहा है। यह न्यासी के पद पर है। उसे अपने कार्यों का कुशलता से प्रबंधन करना होता है। यह सच है कि एक निश्चित मामले में जहां समय देने से बीमार इकाई

को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है, निगम इंतजार कर सकता है। हालाँकि, विवेकाधिकार का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए न कि इस न्यायालय द्वारा। यह एक रोगी के लिए एक कृत्रिम श्वसन यंत्र के उपयोग के समान है। इसे ऐसे व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा जिसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है जबकि दूसरे को वंचित करना उचित नहीं होगा जिसके पास मौका है। इस मामले की परिस्थितियों में, जब याचिकाकर्ता अपनी शिकायत का सम्मान भी नहीं कर सका और उसके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए थे, तो निगम को विवादित कार्रवाई करने में उचित ठहराया गया था।

(13) यदि यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। यदि यह उस संपत्ति का हिस्सा है जो याचिकाकर्ता की है और निगम को अपने बकाया की वसूली के लिए इसकी आवश्यकता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे कब्जे में नहीं लिया जा सकता था। समान रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि आग के बारे में बहाना केवल चूक को सही ठहराने के लिए बनाया गया था। इसके समर्थन में कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया था।

(14) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(15) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है। रिट याचिका में पूरी तरह से योग्यता की कमी है। नतीजतन, इसे खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सूर्य करण चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कहखोदा (सोनीपत) हरियाणा